

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 25.06.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप थाना चन्दौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 205/2021 धारा 302,201 भादवि में अभियुक्त 1.हरिओम गोस्वामी पुत्र राधेश्याम निवासी फेसुडा थाना सैयदराजा को आजीवन कारावास की सजा व 25000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। 2.हंसराज गोस्वामी पुत्र राधेश्याम गोस्वामी 3.लालमनी पत्नी राधेश्याम गोस्वामी निवासी ग्राम फेसुडा थाना सैयदराजा चन्दौली को 05 वर्ष की सजा व 5000 रु.के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) एवं थाना सैयदराजा पुलिस की प्रभावी पैरवी सराहनीय रही ।

□ अवैध खनन के खिलाफ थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा की गयी बडी कार्यवाही

□ अवैध खनन करने वाले तीन व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया मुकदमा दर्ज, मौके से जेसीबी सीज

घटना का संक्षिप्त विवरण- विगत दिनो ग्राम डैना मे रात्रि मे अवैध खनन किये जाने सूचना प्राप्त होने पर राजस्व विभाग से जांच आख्या आहूत किया गया था, राजस्व विभाग की जांच आख्या व पिडित रोशन मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा निवासी मनियारपुर थाना सकलडीहा चन्दौली की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 136/2026 धारा 303(2),352,351(3) बीएनएस व 4/21 खान खनिज विकास का विनियमन अधिनियम 1957 व 3(1),58,72(6) उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 बनाम 1.जे0सी0बी0 संख्या UP67BT6860 का चालक 2 शिवम सिंह उर्फ कल्लू निवासी अमावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली 3.विमला यादव ग्राम प्रधान डैना थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के बिरुद्ध पंजीकृत कर घटना मे प्रयुक्त जे0सी0बी0 UP67BT6860 को सीज कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.जे0सी0बी0 संख्या UP67BT6860 का चालक नाम पता अज्ञात
- 2 शिवम सिंह उर्फ कल्लू निवासी अमावल थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
- 3.विमला यादव ग्राम प्रधान डैना थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

सीज वाहन का विवरण-

जे0सी0बी0 संख्या UP67BT6860